FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0051 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/03/2024 21:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 16:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/03/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/03/2024 21:02:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Forest Office Beawar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mohitesh Gupta

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Ravindra Gupta

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	117, Out side of Chandpol Gate, Sojat City, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	117, Out side of Chandpol Gate, Sojat City, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7410972101

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Nitin Sharma		पिता:Let. Kishan Sharma	1. Flat 715,Vardhman Harijan,Nagal Puliya,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	Narsi Ram Rayeka		पिता:Hanuman Ram Rayeka	1. Village Peeh,Parbtsar,डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषय- रिश्वत मांगने की शिकायत पर कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम मोहितेश गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र गुप्ता है। मै मकान नम्बर 117 चान्दपोल गेट के बाहर, सोजत सिटी जिला पाली का रहने वाला हूं। मै कोयला खरीदने व बेचने का काम करता हूं। दिनांक 23.03.2024 को मसूदा से सनम एन्टरप्राईजेज, मसूदा जिला ब्यावर से 32500 किलोग्राम कोयला राशि 260000 रूपये मे खरीदा था जिसका ट्रांजिट पास (टीपी) उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा जारी किया गया था। कोयला मेरे द्वारा सनम एन्टरप्राईजेज से खरीदा गया था जिसके श्री अफजल पठान के नाम से ही टीपी जारी की गई। उक्त कोयला वाहन संख्या आरजे 52 जीए 1525 मे भरकर ब्यावर क्षैत्र से निकल रहा था। वाहन के चालक श्री राधेश्याम का मेरे पास शाम मोबाईल फोन आया तथा उसने मुझे कहा कि अपनी गाडी को वन विभाग के अधिकारी द्वारा रोक कर टीपी को फर्जी बताया जा रहा है आप जल्दी आ जाओ। मै तुरन्त ही देलवाडा मार्ग स्थित वन विभाग की चौकी ब्यावर पहुंचा वंहा पर उक्त वाहन व ड्राईवर श्री राधेश्याम मौजूद था। मुझे वंहा पर नरसी राईका वन रक्षक मिला उसने कहा कि आपकी टीपी फर्जी है तथा गाडी भी ओवरलोड है तथा कोयले का सैम्पल चैक होगा तथा केस बनेगा। मै उससे बात कर ही रहा था कि रेंजर श्री नितिन शर्मा भी वंहा पर आ गये तथा उन्होने मुझे कहा कि मैने डीएफओ को बता दिया है आप उन्ही से सम्पर्क करो। फिर मैने वन विभाग के श्री श्याम सिंह, रेंजर को मोबाईल फोन पर घटनाक्रम के बारे मे बताया तो उसने कहा कि मै डीएफओ से बात कर लेता हूं। थोडी देर बाद श्याम सिंह ने वाट्सएप कॉल किया तथा कहा कि डीएफओ से बात हो गई है गाडी छोड देंगें ढाई लाख रूपये लगेंगें और मुझे मोबाईल नम्बर 7600172195 दिया जिस पर मुझे ऑन लाईन पेमेन्ट करने के लिये कहा। मैने 50000 रूपये फोन पे व 50000 रूपये पेटीएम के द्वारा उस नम्बर ऑन लाईन पेमेन्ट करवाया। पैमेन्ट हो जाने के बाद मै नितिन शर्मा के पास उसके कक्ष में गया तथा मैने उसे बता दिया कि मैने एक लाख रूपये का पैमेन्ट करवा दिया है। इस दौरान श्याम सिंह व नितिन शर्मा रेंजर की आपस में मोबाईल फोन पर बात भी हो रही थी। नितिन शर्मा ने मुझे कहा कि 150000 रूपये की व्यवस्था करो गाडी छोड दूंगा। मैने कहा कि ज्यादा है तो उसने कहा कि पांच लाख रूपये का जुर्माना लगेगा। फिर मैने पैसे की व्यवस्था कर 60000 रूपये नरसी राईका को नकद दिये तथा 25000 रूपये नरसी राईका के बताये मोबाईल नम्बर 9587027058 पर मैने मेरे मोबाईल फोन से फोनपे के द्वारा ऑन लाईन लाईन पैमेन्ट 25000 रूपये किया। इस तरह मैने उन्हे 85000 रूपये दे दिये। बाकी बचे रूपये 65000 के लिये नितिन शर्मा रेंजर व नरसी राईका ने एक दो दिन मे देने की कहा तथा कहा कि यदि पैसा नही दोगे तो आगे भी गाडी रोक देंगें तथा भारी जुर्माना लगायेंगें। उन्होने मुझे यह भी कहा कि कोयले की और कौन कौन सी गाडी चलती है यह भी हमे बताना तथा उन्होने पांच सात फार्म पर मेरे व गाडी के ड्राईवर राधेश्याम के साईन करवाये। फार्म खाली ही थे। गाडी को करीब 10 बजे रात्रि मे उन्होने छोड दिया। उसके बाद अगले दिन श्याम सिंह का मेरे मोबाईल फोन पर वाट्सएप कॉल आया तथा उसी नम्बर पर शेष राशि का भुगतान फोनपे से करने का कहा। दिनांक 25.03.2024 को नरसी राईका का मेरे पास फोन आया तथा कहा कि श्याम सिंह को पैसा मत देना बचे हुये 65000 रूपये हमें ही देकर फाईनल करो। दिनांक 26.03.2024 को नितिन शर्मा के मेरे मोबाईल फोन पर शाम के वक्त वाट्स एप कॉल आया मैने उठाया नही फिर मैने उसे थोडी देर बाद वापस कॉल किया तो उसने कहा कि आपकी गाडी भरतपुर पहुंच गई क्या मैने कहा कि रास्ते मे ही है तो उसने कहा कि हमारा फाईनल पैमेन्ट करवा दो। मै मजबूरी वश वन विभाग के रेंजर श्री नितिन शर्मा व श्री नरसी राईका वन रक्षक को 85000 रूपये एंव श्री श्याम सिंह रेंजर को 100000 रूपये दे चुका हूं। अब तक मजबूरी वश 185000 रूपये की रिश्वत राशि नकद/ऑन लाईन कर चुका हूं तथा श्री नितिन शर्मा रेंजर व श्री नरसी राईका वन रक्षक 65000 रूपये की और मांग रिश्वत के तौर पर कर रहे है। मै इन्हे रिश्वत नही देना चाहता हूं। मै इनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का श्रम करे। धन्यवाद दिनांक 27.03.2024-एसडी-मोहितेश गुप्ता मोबाईल नम्बर 7410972101 कार्यावाही पुलिस एसीबी अजमेर समय 10.45 ए.एम दिनांक-27.03.2024 उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री मोहितेश गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र गुप्ता उम्र 34 साल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 117 चान्दपोल गेट के बाहर, सोजत सिटी जिला पाली ने उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री भागचन्द्र को प्रस्तुत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से उपरोक्तानुसार परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। मन्

निरीक्षक पुलिस उक्त प्रार्थना पत्र व परिवादी सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। मै करीब चार साल से कोयले खरीदने व बेचने का काम कर रहा हूं। दिनांक 24.03.2024 को मेरी कोयले से भरी गाडी वन विभाग के श्री नितिन शर्मा रेन्जर व नरसीराम वन रक्षक द्वारा रोकी थी। मेरी गाडी की नियमानुसार टीपी भी थी परन्तु वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा टीपी को फर्जी बताया जा रहा था यदि उस दिन मै उन्हे रिश्वत नही देता तो वह किसी भी तरह से मेरी गाडी को सीज कर लेते जिससे कोयला समय पर आगे नही पहुंच पाता तथा टीपी का समय भी पूरा हो जाता जिससे मुझे काफी आर्थिक नुकसान हो जाता इसलिये उस दिन मैने मजूबरी वश एक लाख रूपये श्याम सिहं रेंजर के कहने पर ऑन लाईन पेमेन्ट मेरे मिलने वाले श्री हरीश जी व श्री फैजाब भाई से करवाये थे तथा नितिन शर्मा रेजंर व श्री नरसी राईका वनरक्षक के कहने पर 60000 रूपये नकद व 25000 रूपये ऑन लाईन पैमेन्ट मैने स्वंय के मोबाईल फोन से नरसी राईका द्वारा बताये नम्बर पर किये थे। इस प्रकार मै अभी तक उन्हे 185000 रूपये पैमेन्ट कर चुका हूं। श्री श्याम सिंह ने डीएफओ के नाम से ढाई लाख रूपये की मांग कर एक लाख रूपये उसी दिन लिये थे। नितिन शर्मा रेंजर एंव श्री नरसी राईका वन रक्षक ने 150000 रूपये मांगे थे जिसमें से मै उन्हे 85000 रूपये दे चुका हूं। शेष 65000 रूपये की और मांग की जा रही है । मै एक करोबारी व्यक्ति हूं यदि मै इन्हे बची हुई रिश्वत राशि नही दूंगा तो ये लोग किसी ना किसी तरफ से मुझे परेशान कर सकते है। परिवादी ने पेटीएम पर श्री राजेन्द्र सिंह को करवाये गये पेमेन्ट 50000 रूपये, श्री राजेन्द्र सिंह को किये गये फोन पे एंव गोविन्द कुमावत को फोन पे पर किये गये ऑन लाईन पेमेन्ट की स्कीि्रन शॅाट एवं सनम एन्टरप्राईजेज मसूदा जिला ब्यावर का दिनांक 23.03.2024 को बिल नम्बर 206 जो श्री अफजल पठान द्वारा श्री बालाजी कान डिपो भरतपुर के नाम 32500 किलो राशि 26000 रूपये का जारी किया गया की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी नितिन शर्मा, नरसीराम राईका व श्याम सिंह से कोई रंजिश नही है व नाही कोई उधार का लेनदेन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया जिस पर परिवादी ने बताया कि मै आज ही जाकर नितिन शर्मा रेजंर व नरसी राईका वन रक्षक से ब्यावर जाकर रिश्वत के सम्बन्ध मे बात कर लूंगा। समय 11.55 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर वायॅस रिकॉर्डर को ऑपरेट करना परिवादी को समझाया गया। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 308 को कक्ष मे तलब किया जाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु ब्यावर जाने की हिदायत दी गई । समय 04.45 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एंव परिवादी श्री मोहितेश गुपता कार्यालय मे उपस्थित आये। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जो बन्द अवस्था में था। परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से मै और रविन्द्र जी मेरी कार से रवाना हुये। मेरी पत्नि किसी काम से अजमेर आयी थी वह भी कार मे मेरे साथ ही थी। यंह से रवाना होकर रास्ते में मैने नितिन शर्मा रेजंर से वाट्स एप कॉल पर बात जिसे रविन्द्र जी ने रिकॉर्ड किया। फिर हम वन विभाग के कार्यालय ब्यावर गये जंहा रविन्द्र जी ने वॉयस रिकॉर्डर चालू करके मुझे दे दिया मै कार्यालय के अन्दर की तरफ गया वंहा पर पहले नरसी राईका वन रक्षक मिला। हम दोनो रेंजर के कक्ष में गये जंहा पर नीतिन शर्मा मौजूद था। हमारे बीच में पैसो की बात हुई पहले नीतिन शर्मा ने एक टन की एसी लाने के लिये कहा तथा बाद में 50000 रूपये रिश्वत लेनेदेन की बात हुई । उसने मुझे यह भी कहा कि और कौनसी गाडी चलती है उनके बारे मे बताना। उन्होने श्याम सिंह से एक लाख रूपये वापस लेने के लिये भी कहा। हमारे बीच हुई बात को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड कर मै रविन्द्र जी के पास बाहर की तरफ वापस आ गया तथा वंहा से रवाना होकर मेरी कार से अजमेर आ गये। श्री रविन्द्र सिंह ने परिवादी के बताये हुये कथनो की ताईद की। वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। रिकॉर्डर को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि नितिन शर्मा/नरसी राईका को परसो रिश्वत देनी है। मै परसो आपके ऑफिस मे उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 28.03.2024 समय 11.00 ए.एम. अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता है चूकिं आगामी समय में राजपत्रित अवकाश है तथा ट्रेप कार्यवाही दिनांक 29.03.2024 को किया जाना प्रस्तावित है। अत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10 को सुपुर्द कर गवाह लाने हेतु भिजवाया गया। दिनांक 28.03.2024 समय 12.10 पीएम पर श्री महेश कुमार हैड कानि0 कनिष्ठ निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर से गवाह श्री हरि सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर सिंह उम्र 39 साल जाति राजपूत निवासी 210 छत्रपति शिवाजी नगर जोबनरे रोड कालवाड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय आर्युवद विभाग अजमेर अजमेर व श्री किशन गोपाल जोशी पुत्र स्व0 श्री उमराव शर्मा उम्र 35 साल जाति ब्राहमण निवासी प्लॉट नम्बर 122 आईडीएसएमटी कॉलोनी चुंगी नाका अजमेर रोड पुष्कर, अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को लेकर उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। गवाहान को दिनांक 29.03.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। दिनांक 29.03.2024 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी मोहितेश गुप्ता एंव गवाह श्री हरी सिंह व श्री किशन गोपाल जोशी कार्यालय मे उपस्थित आये। दोनो गवाहो को

परिवादी से आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहो को पढकर सुनाया गया एंव दिखाया गया तथा प्रार्थना पत्र पढकर गवाहान द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कि वायॅस रिकॉर्डर मे लगे हुये मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है को कार्यालय अलमारी मे से निकाला जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर चालू कर मुख्य मुख्य अंश गवाहान को सुनाये गये। गवाहान से आगामी ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर दोनो गवाहो ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की। कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड व डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास अलमारी मे सुरक्षित रखा। समय 01.13 पीएम पर आरोपी नितिन शर्मा की कार्यालय मे उपस्थिति की जानकारी बाबत परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 7410972101 से आरोपी श्री नितिन शर्मा के मोबाईल फोन नम्बर 8003513209 पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डाला जाकर रिकॉर्डर किया गया। वार्ता में आरोपी द्वारा स्वंय का कार्यालय मे ही मौजूद होना तथा रेस्ट करना अवगत करवाया। समय 02.20 एम पर परिवादी श्री मोहितेश गुपता को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर चतुर्भुज सैन से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री मोहितेश गुप्ता की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, मय स्वतन्त्र गवाह श्री हरी सिंह, श्री किशन गोपाल जोशी ,श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10, तलबशुदा प्राईवेट वाहन के मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स एंव परिवादी श्री मोहितेश गुप्ता व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 परिवादी के प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही ब्यावर के लिये रवाना हुये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को हालात निवेदन किये गये। समय 04.00 पीएम पर मन् निरीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस ब्यावर पहुंचा जंहा पर वन विभाग के कार्याल से थोडा पहले वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई समय 04.08 ए.एम. पर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर वन विभाग कार्यालय ब्यावर के अन्दर की तरफ रवाना किया गया मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वन विभाग कार्यालय के बाहर की तरफ वाहन मे ही मुकीम रहा। समय करीब 04.30 पीएम पर परिवादी मोहितेश ने जरिये मोबाईल फोन श्री रविन्द्र सिंह को रिश्वत राशि लेनदेन बाबत बताया, जिस पर श्री रविन्द्र सिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस व स्टॉफ के अन्य सदस्यो को हाथ के ईशारे से रिश्वत राशि ईशारे बाबत अवगत करवाया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्टॉफ के अन्य सदस्य श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक, स्वतन्त्र गवाह श्री हरि सिंह एंव श्री किशन गोपाल जोशी सहित कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर कार्यालय की तरफ मुख्य गेट पर पहुंचा जंहा पर श्री रविन्द्र सिंह व परिवादी मोहितेश उपस्थित मिला परिवादी ने बताया कि रेंजर नितिन जी उनके कार्यालय कक्ष के पीछे की तरफ रेस्ट रूम मे है उन्होने मेरे से 50000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये जिसके बाद मैने रविन्द्र जी को फोन कर दिया था तथा नितिन शर्मा रेंजर को मेहन्दी लाने की कहकर बाहर की तरफ आ गया। श्री रविन्द्र सिंह ने वायॅस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया जो बन्द अवस्था में था। मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहीयान के कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर मे प्रवेश किया जंहा पर एक व्यक्ति जिसने बनियान व हाफ पेन्ट पहनी हुई थी अचानक कार्यालय के पीछे की तरफ बने कमरे में तेजी से जाता हुआ नजर आया। परिवादी ने बताया कि वो ही नितिन शर्मा रेजंर है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उस कक्ष मे प्रवेश किया जंहा पर वो ही व्यक्ति मौजूद मिला मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शक्स को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये शक्स से उसका परिचय पूछा तो अपना परिचय श्री नितिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्री किशन शर्मा उम्र 40 जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 40 शंकर नगर, नम्बर 1 विश्वकर्मा, इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 715 वर्धमान हॉरीजन, नागंल पुलिया जयपुर हाल वन रक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर होना बताया। पूछने पर श्री नितिन शर्मा ने बताया कि मैने मोहितेश से रिश्वत नही ली है मै तो इनसे लिये गये रूपयो से पौधे खरीदने वाला था। 50000 रूपयो के सम्बन्ध में पूछने पर श्री नितिन शर्मा ने बताया कि कमरे मे मौजूद डबल बेड सिरहाने की तरफ बने रैक मे रखे हुये है। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि नरसी राईका कार्यालय मे नही दिखा है उसे एसीबी की कार्यवाही का अन्दाजा हो जायेगा जिस पर परिवादी ने वन रक्षक श्री नरसी राईका से जरिये मोबाईल फोन बात की तो श्री नरसी ने स्वंय को खरवा नर्सरी मे होना बताया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि दिनांक 24.04.2024 को मेरे से सम्बन्धित कोयला वाहन संख्या आरजे 52 जीए 1525 मे भरकर ब्यावर क्षैत्र से निकल रहा था जिन्हे श्री नितिन शर्मा रेंजर व श्री नरसी वन रक्षक द्वारा रोका जाकर उस वाहन को छोडने के बदले 60000 रूपये नकद नरसी राईका ने लिये थे तथा

25000 रूपये नरसी के कहने से उनके बताये नम्बर पर फोन पे किया था। उसके बाद इन्होने मेरी गाडी को छोड दिया था। इन्होने मेरे से 150000 रूपये मांगे थे तथा शेष 65000 रूपयो के लिये नितिन शर्मा रेंजर व नरसी राईका ने 65000 रूपये एक दो दिन मे देने की कहा तथा कहा कि यदि पैसा नही दोगे तो आगे भी तेरी गाडी रोक देंगें तथा भारी जुर्माना लगायेंगें। दिनांक 26.03.2024 को नितिन शर्मा से मेरे मोबाईल फोन पर बात हुई तथा शेष राशि 65000 रूपये की मांग की। मैने एसीबी मे शिकायत की तथा दिनांक 27.03.2024 को इनके कार्यालय मे आकर बात की तो इन्होने 50000 रूपये रिश्वत की मांग की उस समय नितिन जी व नरसी दोनो ही मौजूद थे। मैने पचास हजार रूपये इनको देकर रविन्द्र जी को ईशारा कर दिया। इस पर श्री नितिन शर्मा से पुन पूछने पर हाथा जोडी करते हुये माफी मांगने लगा। कार्यवाही के दौरान श्री भागचन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर वास्ते सुपरविजन मय श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक एंव श्री अर्जुन कानि नम्बर 102 के मय सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित आये। श्री बच्छराज सिंह व श्री महेश हैड कानि0 को श्री नरसी राईको को वन विभाग की खरवा स्थित नर्सरी से लेकर पेश करने हेतु कहा गया। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त किये जाने की पुष्टी होने पर वन विभाग के इसी परिसर से पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री नितिन शर्मा के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ व बाये हाथ के धोवण की शिंशियों आधा-आधा भरा जाकर मार्क क्रमशः आरएच 1 , आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी के निशादेही से उक्त कक्ष के डबल बेड में 500-500 रूपये के नोट दिखाई दिये जिन्हे गवाह श्री किशन गोपाल जोशी से उठवाया जाकर नोटो का मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50000 रूपये होना बताया गया। उक्त रिश्वत राशि नोटो को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एन अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। बेड के जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान के धोवण हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकाला जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात बेड के जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान पर सेखा रूई के पौहे रगडा जाकर रूई के पौहें को उक्त धोवण में डुबाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुन साफ कर उक्त धोवण को शिंशियों में आधा-आधा भरा जाकर मार्क बी 1 बी 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी को लोअर व टी शर्ट पहनवाई गई तथा श्री नितिन शर्मा को हमराह लेकर क्षैत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में मय हमराहीयान व जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकी के पहुंचकर आगामी कार्यवाही कक्ष में बैठकर आरम्भ की गई। इसी दौरान श्री बच्छाराज सिंह व श्री महेश कुमार हैड कानि श्री नरसी राईका वन रक्षक को लेकर उपस्थित आये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा नरसी राईका को अपना परिचय दिया जाकर पूरा परिचय पूछा तो अपना पूरा परिचय श्री नरसी राईका पुत्र श्री हनुमान राम राईका उम्र 30 साल जाति राईका निवासी गांव पीह पुलिस थाना पीलवा तहसील परबतसर जिला जिला डीडवाना कुचामन हाल वन रक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर के रूप मे दिया। श्री नरसी राईको को आने के प्रयोजन से अवगत करवाया तथा परिवादी से ली गई रिश्वत के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया दिनांक 24.03.2024 को श्री मोहतेश गुप्ता जी की कोयले की गाडी शाम को करीब चार साढे चार बजे उदयपुर पुलिया के पास चुंगी पर रोकी गई थी उस समय श्री नितिन शर्मा जी रेंजर साहब व वन रक्षक श्री सुधीर भी थे। हम गाडी को लेकर हमारे इस कार्यालय मे लेकर आ गये। थोडी देर बाद ही मोहतेश भी हमारे कार्यालय मे आ गया था। वो मेरे से और रेंजर साहब से मिला था। रेजंर साहब के कहने पर मैने मोहतेश से बात की तथा गाडी छोडने के बदले मे 150000 रूपये की बात हमारे बीच मे हुई थी। यह बात सही है कि मैने उस समय मोहतेश जोशी से मेरे मिलने वाले गोविन्द कुमावत निवासी थांवला जिला नागार के मोबाईल नम्बर 9587027058 पर 25000 रूपये फोन पे के द्वारा ऑन लाईन पेमेन्ट करवाया था तथा 60000 रूपये नकद प्राप्त किये थे। शेष राशि 65000 रूपये एक दो दिन मे देने के लिये मोहितेश ने कहा था। श्री नितिन जी कहने पर करीब दस-साढे दस बजे गाडी बिना कोई कार्यवाही किये छोड दी थी। परिवादी श्री मोहितेश ने बताया कि जिस दिन मेरी गाडी पकडी थी उस दिन श्याम सिंह को भी मेरे से गाडी छुडवाने के नाम पर एक लाख रूपये का ऑन लाईन पैमेन्ट किया था तथा उसने रेंजर साहब से मोबाईल पर बात भी की थी। पूछने पर श्री नीतिन ने बताया कि श्याम सिंह का दिनांक 24.03.2024 को मोहितेश की गाडी पकडने के बाद मे मेरे पास कॉल आया था तो उसने कहा कि मोहितेश मेरा रिश्तेदार है आप कॉपरेट करो उसके बाद में उसने कई बार मुझे फोन किया था। मुझे मोहितेश ने बताया था कि उसने श्याम सिंह के कहने पर एक लाख रूपये को पेमेन्ट ऑन लाईन करवाया था। मैने वो पैसे वापस लेने के लिये मोहितेश को कहा था। उसके बाद में मैने नरसी राईको को मोहितेश की गाडी

छोडने के लिये कह दिया था। नितिन शर्मा क्षैत्रीय वन अधिकारी से पूछने पर बताया कि हमने उस दिन की कार्यवाही के कागज बनाये थे जिसकी मै रसीद काटता। गाडी को कार्यालय मे लाने के सम्बन्ध मे बनाये गये कागज बाबत पूछने पर श्री नीतिन शर्मा ने कहा कि कागज कंहा है मुझे याद नही। तत्पश्चात नरसी राईका से कागजो के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि कागज रेजंर साहब के पास ही है। श्री नितिन शर्मा से पुन पूछने पर कागजो के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की जिस पर क्षैत्रीय वन अधिकारी के कक्ष की तलाशी लिये जाने पर क्षैत्रीय वन अधिकारी के बैठने की कुर्सी के सामने स्थित टेबल की दराज मे कुछ कागजात मिले जिन्हे देखकर श्री नरसी राईका ने बताया कि यह कागजात वही है जो मोहितेश की गाडी से सम्बन्धित है। कागजो का अवलोकन किया गया उक्त सभी कागजात पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। श्री नरसी राम व श्री नितिन शर्मा से अपने अपने मोबाईल फोन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया हर दोनो द्वारा अपने अपने मोबाईल फोन प्रस्तुत किये गये जिनका निरीक्षण किया जाकर फर्द निरीक्षण मोबाईल पृथक से मुर्तिब की गई। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। आरोपियान श्री नितिन शर्मा क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर व श्री नरसी राईका वन रक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 व 120 बी आईपीसी का कारित करना पाया जाने पर आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई व जब्ती पृथक से तैयार की जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी नितिन शर्मा के कार्याल परिसर स्थित रेस्ट रूम की तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 10.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपियान मय हमराहीयान मय जब्त जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के प्राईवेट वाहनो से रवाना हुये। समय 10.30 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस वन विभाग की नर्सरी खरवा पहुंचे जंहा पर श्री नरसी राईका का अन्य कर्मचारियों के साथ के कक्ष मे रहना पाया गया। नरसी राईका के सामान को देखा गया तो कोई आपत्ति जनक वस्तु नकद राशि आदि नही मिले। समय 10.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपियान मय हमराहीयान मय जब्त जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के प्राईवेट वाहनो से रवाना हुये। दिनांक 30.03.2024 समय 12.05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस बाद आरोपियान का मेडिकल मुआयाना करवाकर आरोपियान को पुलिस थाना सिविल लाईन की हवालात में बन्द करवाकर मय जब्त जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय पहुंचा। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। परिवादी व गवाहो के रूख्सत कर सुबह 10.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 30.03.2024 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहितेश गुप्ता एंव गवाह श्री हरी सिंह तथा श्री किशन गोपाल जोशी कार्यालय मे उपस्थित आने पर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार गई। मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया। प्रकरण में परिवादी के बताये अनुसार की जिस दिन उसकी कोयले की गाडी पकडी थी उस दिन श्याम सिंह को भी गाडी छुडवाने के नाम पर बतौर रिश्वत एक लाख रूपये का ऑन लाईन पैमेन्ट किया था तथा श्याम सिंह एंव श्री नितिन शर्मा के मध्य वाट्सएप कॉल पर वार्ता होना पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे भी श्याम सिंह को रूपये देने बाबत वार्तालाप दर्ज है। श्री श्याम सिंह की भूमिका के सम्बन्ध मे अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी 1 श्री नितिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्री किशन शर्मा उम्र 40 जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 40 शंकर नगर, नम्बर 1 विश्वकर्मा, इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 715 वर्धमान हॉरीजन, नागंल पुलिया जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर 2 श्री नरसी राईका पुत्र श्री हनुमान राम राईका उम्र 30 साल जाति राईका निवासी गांव पीह पुलिस थाना पीलवा तहसील परबतसर जिला जिला डीडवाना कुचामन हाल वन रक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आपसी षडयन्त्र कर परिवादी श्री मोहितेश से सम्बन्धित कोयला से भरी हुये वाहन संख्या आरजे 52 जीए 1525 को दिनांक 24.04.2024 को पकडा जाकर कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर लेकर आये तथा उक्त वाहन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करने की एवज में परिवादी से 150000 रूपये रिश्वत की मांग कर 60000 रूपये श्री नरसी राईका द्वारा नकद व 25000 रूपये अपने मिलने वाले गोविन्द कुमावत के मोबाईल फोन पर जरिये फोनपे ऑन लाईन भुगतान कर प्राप्त करना पाया गया है।
आरोपियान द्वारा परिवादी से 85000 रूपये तत्समय ही प्राप्त किये जाकर परिवादी के वाहन को बिना कोई वैधानिक कार्यवाही के छोडा जाकर शेष रिश्वत राशि 65000 रूपये की मांग परिवादी से की जाकर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.03.2024 को परिवादी से 50000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर अपनी मांग के अनुसरण में दिनांक 29.03.2024 को आरोपी श्री नितिन शर्मा क्षैत्रीय वन रक्षक ब्यावर द्वारा परिवादी से 50000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई जो रिश्वत राशि आरोपी के निशादेही से उसके कक्ष मे स्थित डबल बेड की रैक से बरामद हुये। आरोपी के दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है तथा जिस स्थान पर रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान के धोवण का रंग गहरा

गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी आरोपी 1 श्री नितिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्री किशन शर्मा उम्र 40 जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 40 शंकर नगर, नम्बर 1 विश्वकर्मा, इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 715 वर्धमान हॉरीजन, नागंल पुलिया जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर 2 श्री नरसी राईका पुत्र श्री हनुमान राम राईका उम्र 30 साल जाति राईका निवासी गांव पीह पुलिस थाना पीलवा तहसील परबतसर जिला जिला डीडवाना कुचामन हाल वन रक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 व 120 बी आईपीसी का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (दीनदयाल वैष्णव) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भागचन्द, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों अजमेर के माध्यम से श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1-श्री नितिन शर्मा पुत्र स्व.श्री किशन शर्मा निवासी मकान नम्बर 40, शंकर नगर, नम्बर 1 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर 715 वर्धमान हॉरीजन, नागंल पुलिया जयपुर हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी, ब्यावर 2-श्री नरसी राम राईका पुत्र श्री हनुमान राम राईका निवासी गॉव पीह पुलिस थाना पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना कुचामन हाल वन रक्षक कार्यलय क्षैत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 358 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 244-48 दिनांक 30.3.2024 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन प्रमुख) राजस्थान, जयपुर। 3.उप वन संरक्षक, अजमेर 4.उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Roop Singh **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/03/2024 21:06:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)